

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर एवं खगड़िया।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- कोचस।

पटना, दिनांक- 27-3-18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹19.00000 लाख (उन्नीस लाख रु०) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA, चिकित्सा भत्ता एवं यात्रा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०-163 दिनांक- 27-3-18 के आलोक में ₹19.00000 लाख (उन्नीस लाख रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	नगर परिषद, बक्सर	6,00,000.00
2	नगर परिषद, खगड़िया	11,00,000.00
	योग (क)	17,00,000.00
3	नगर पंचायत, कोचस	2,00,000.00
	योग (ख)	2,00,000.00
	योग (क+ख)	19,00,000.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹19.00000 लाख (उन्नीस लाख रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 3 के स्तम्भ- 3 में आवंटित राशि राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर परिषद एवं नगर पंचायत में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (व्यक्तिक दावा

निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. उपर्युक्त तालिका में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निम्नवत् होंगे :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 2 के स्तम्भ- 3 में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर परिषद्, बक्सर एवं खगड़िया के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष- 0013-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031920013, विषय शीर्ष- 0013.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 3 के स्तम्भ- 3 में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर पंचायत, कोचस के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0012-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031930012, विषय शीर्ष- 0012.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।
8. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. चूँकि उपर्युक्त राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
10. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक- 20.04.2017 में की गई अनुशंसा के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा दिनांक- 25.04.2017 को दिया गया है।
11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature) 27.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/का०प०वे०-26-01/2017 164 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27-3-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट शाखा)/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

(Handwritten Signature) 27.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

(Handwritten Signature)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 27.03.18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹19.00000 लाख (उन्नीस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA, चिकित्सा भत्ता एवं यात्रा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹19.00000 लाख (उन्नीस लाख रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(राशि रुपये में)		
क्र० सं०	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
1	नगर परिषद, बक्सर	6,00,000.00
2	नगर परिषद, खगड़िया	11,00,000.00
	योग (क)	17,00,000.00
3	नगर पंचायत, कोचस	2,00,000.00
	योग (ख)	2,00,000.00
	योग (क+ख)	19,00,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹19.00000 लाख (उन्नीस लाख रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 3 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर परिषद एवं नगर पंचायत में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (व्यक्तिक दावा

निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निम्नवत् होंगे :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 2 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर परिषद्, बक्सर एवं खगड़िया के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष- 0013-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031920013, विषय शीर्ष- 0013.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 3 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर पंचायत, कोचस के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0012-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- 48-2217031930012, विषय शीर्ष- 0012.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

7. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।
8. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. चूँकि उपर्युक्त राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
10. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक- 20.04.2017 में की गई अनुशंसा के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा दिनांक- 25.04.2017 को दिया गया है।
11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/का०प०वे०- 26-01/2017 के पृष्ठ सं०-63...../टि० पर दिनांक-27.3.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-63...../टि० पर दिनांक-27.3.18 को प्राप्त है।
13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश प्रो.

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/का०प०वे०-26-01/2017 163 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27-3-18
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट शाखा)/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्, एवं नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के विशेष सचिव।

(Handwritten signature)